सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2017 **निर्णय दिनांकः**

1. कृष्णलाल पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी ऐटा ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20—05—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 20—05—2008 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित रकबा मोहरबंद श्रेणी में आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर मोहरबन्द गजट में आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 20–05–2008 को चक 5 ए.एम. 1 के मुरब्बा नम्बर 112/32 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। जबकि उक्त रकबा पूर्व में ही भूमिहीन के तौर पर दिनांक 13–05–2002 को रेस्पोडेन्ट्स को आवंटित था। जब उक्त रकबा पूर्व में ही रेस्पोडेन्ट को आवंटित था तो ऐसी स्थिति में उक्त रकबा मोहरबन्द निलामी में रखा गया और मोहरबन्द निलामी में अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु उक्त रकबे का आवेदन किया गया जो दिनांक 20–05–2008 को आवंटित होकर अनुमोदन दिनांक 31–03–2008 को श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अनुमोदन पश्चात् आवंटन भूमि की 20 प्रतिशत राशि भी जमा करवा दी गई।

अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए था कि क्या आराजी जैर उक्त दिवस को आवंटन हेतु विशुद्व रूप से उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आनन–फानन में आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को कर दिया गया जबकि उक्त आराजी पूर्व में ही भूमिहीन श्रेणी में रेस्पोडेन्ट को आवंटित थी। मोहरबन्द व भूमिहीन दोनों अलग–अलग श्रणी की भूमियॉ है। जिनका आवंटन भी अलग–अलग तरीके से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा गलत श्रेणी की भूमि का आवंटन मोहरबन्द गजट के तहत अपीलांट को कर दिया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी की खातेदारी भी प्राप्त कर ली गई है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूलवश किया गया आवंटन आदेश है। जोकि एक विभागीय त्रूटि है। जिसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अतः अपील अंदर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को मोहरबन्द गजट में आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व मं ही सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में अन्य को आवंटित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट ने अपील मिंयाद बाहर पेश की है तथा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को वादगत् भूमि चक 5 ए.एम. 1 का मुरब्बा नम्बर 112/32 का आवंटन मोहरबन्द गजट में जरिये निलामी दिनांक 20–05–2008 को किया गया है। उक्त आवंटन के पश्चात् अपीलांट द्वारा निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत रकम भी जमा करवाते हुए अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी चक 5 ए.एम. 1 का मुरब्बा नम्बर 112/32 पूर्व में ही दिनांक 13–05–2002 को भूमिहीन/सामान्य श्रेणी में रेस्पोडेन्ट को आवंटनशुदा था तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी की खातेदारी भी प्राप्त

कर ली गई है।

(3) प्रकरण में आवेदक आवंटी को आवंटन सहालकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन योग्य भूमियों व श्रेणी तथा वर्गीकरण का विवरण विभागिय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया उपधारित है। आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन अधिकारी की अनुशंसा के बाद जॉच ही जरिये निलामी मोहरबन्द गजट में भूमि का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन दिनांक 20–05–2002 को किया गया है।

(4) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही वादगत् भूमि के संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपरिहार्य थी। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य उसी समय प्रस्तुत हो जाते कि वादगत् आराजी अन्य को भूमिहीन श्रेणी में आवंटनशुदा भूमि है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित आराजी जैर का आवंटन अन्य को किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) अपीलांट का आवंटन बतौर मोहरबन्द श्रेणी की भूमि का किया जाना साबित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया जबकि अपीलांट की पात्रता कायम है। चूंकि अपीलांट को सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में पूर्व में ही रेस्पोडेन्ट को आवंटित

भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–05–2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता अनुसार मोहरबन्द श्रेणी की भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर